उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,
बी –09 एवं 10, पाण्डव नगर, मेरठ
दूरभाष : 0121– 2670635, फैक्स – 2671620
ईमेलः fcmeerut@yahoo.com

पत्रॉक 2198 ———— वि0नि0 / मेरठ / 2013–2014 दिनॉक : 10/10/13

मै0 M/S Gem Multi Colour offset (P) Ltd,
9/482,
Moh.-Dinanath
Saharanpur

महोदय,

विषय :– अवस्थापना एवं औधोगिक निवेश नीति 2012

प्रदेश में पूॅजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, व राज्य के सकल उत्पाद में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति –2012 के अन्तर्गत निम्न योजनाऐं, जिनके संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया गया है, घोषित की गयी हैं :–

1– पूॅजीगत व्याज उपादान योजना 2012
2– अवस्थापना व्याज उपादान योजना 2012
3– औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना 2012
4– संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012

इस सम्बन्ध में निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दि0 10–04–2013 में उक्त योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया है । ततक्रम में उक्त योजनाओं के संक्षिप्त विवरण की प्रतियॉ आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया शासन द्वारा घोषित उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अधिकाधिक पूंजी निवेश करके सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज पर उपादान एवं ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठायें।

यदि इस सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से सम्पर्क करने का कष्ट करें । यदि आपने नवम्बर 2012 के बाद उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई पूंजी निवेश किया है तो उसका विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे मामले में उचित कार्यवाही की जा सके ।

धन्यवाद सहित ।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,

क्षेत्रीय कार्यालय, पुराना प्राइवेट बस स्टेण्ड कम्पाउंड, गाजियाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय - B-10 पाण्डव नगर मेरठ
दूरभाष : 4108890, 2790890 फेक्स : 2790890 दूरभाष - 0121 - 2670635 फेक्स - 2671620
ईमेल– ghaziabad@upfcindia.com ई मेल - meerut @ upfcindia.com

उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा संचालित उद्योगो के विकास के लिए उ0प्र0शासन की विभिन्न योजनांए

योजना का नाम	पात्रता एवं स्वरुप	स्वीकृति, वितरण एवं व्ययभार
1. **अवस्थापना ब्याज उपादान योजना 2012 (द्वारा शासनादेश दि0 30.11.12)** नई औद्योगिक, इकाईयों या ईकाईयों के समूह द्वारा अपने उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओ (सड़क,सीवर, ईटीपी, जलनिकासी, पावर लाइन, ट्रांन्सफार्मर एवं पावर फीडर) की स्थापना के सृजन हेतु लिए गये ऋण के व्याज पर 5 प्रतिशत की दर से पॉच वर्ष के लिए अधिकतम एक करोड़ प्रति ईकाई का उपादान।	1. दि0 30.11.12 से पॉच वर्ष के भीतर वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर लिया हो। 2. ऋण वितरण से 3 वर्ष के भीतर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाए। 3. मशीनरी एवं संयत्रों की कुल लागत रु0 10 करोड़ तक हो (रु0 10 करोड़ से अधिक पिकप द्वारा) 4. प्रथम बार उपादान आवेदन उत्पादन की तिथी से छः माह के भीतर हो जाए अन्यथा साल का क्लेम नहीं प्राप्त होगा।	– सभी प्रपत्रो के साथ आवेदन के पश्चात 15 दिनों मे वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृती पत्र जारी कर दिया जायेगा। – सरकार से क्लेम प्राप्त होने पर ईकाई को 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा। –प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्लेम अगले वर्ष के जून माह तक प्रेषित करना होगा अन्यथा उस साल का क्लेम नही मिलेगा। – उपादान का 2% व्ययभार के रुप में ऋण वितरण से पूर्व देय होगा।
2. **पुंजीगत ब्याज उपादान योजना 2012 (द्वारा शासनादेश दि0 30.11.12)** नई वस्त्र उद्योग, जैसे कताई, बुनाई, निटींग, गारमेन्ट निर्माण ईकाईयों की स्थापना हेतु –वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने पर देय ब्याज पर 5 प्रतिशत की दर से 5 पांच वर्ष के लिए अधिकतम रु0 50 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई ब्याज उपादान	1. दि0 30.11.12 से पॉच वर्ष के भीतर वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर लिया हो। 2. ऋण वितरण से 3 वर्ष के भीतर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाए। 3. मशीनरी एवं संयत्रो की कुल लागत रु0 10 करोड़ तक हो (रु0 10 करोड़ से अधिक पिकप द्वारा) 4. प्रथम बार उपादान आवेदन उत्पादन की तिथी से छः माह के भीतर हो जाए अन्यथा साल का क्लेम नहीं प्राप्त होगा।	– सभी प्रपत्रो के साथ आवेदन के पश्चात 15 दिनों मे वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृती पत्र जारी कर दिया जायेगा। – सरकार से क्लेम प्राप्त होने पर ईकाई को 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा। –प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्लेम अगले वर्ष के जून माह तक प्रेषित करना होगा अन्यथा उस साल का क्लेम नही मिलेगा। – उपादान का 2% व्ययभार के रुप में ऋण वितरण से पूर्व देय होगा।

3. <u>औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना 2012</u> **(द्वारा शासनादेश दि0 30.11.12)** <u>औद्योगिक</u> संगठनो / औद्योगिक ईकाईयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टीफिकेशन लैब एवं टूलरुम स्थापित करने हेतु मशीनरी, संयत्र एवं इक्विपमेन्ट के लिए वित्तीय संस्था से लिए गये ऋण पर देय ब्याज पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु अधिकतम रु0 1 करोड़ प्रति लैब/टूल रुम ब्याज उपादान	1. दि0 30.11.12 से पॉच वर्ष के भीतर वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर लिया हो। 2. प्रथम बार उपादान आवेदन उत्पादन की तिथी से छः माह के भीतर हो जाए अन्यथा साल का क्लेम नहीं प्राप्त होगा। 3. कम्पनी का समूह से तात्पर्य है कि कम से कम पांच समान प्रकृति की कम्पनियॉ / ईकाईयां हो।	– सभी प्रपत्रो के साथ आवेदन के पश्चात 15 दिनों मे वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृती पत्र जारी कर दिया जायेगा। – सरकार से क्लेम प्राप्त होने पर ईकाई को 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा। –प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्लेम अगले वर्ष के जून माह तक प्रेषित करना होगा अन्यथा उस साल का क्लेम नही मिलेगा। – उपादान का 2% व्ययभार के रुप में ऋण वितरण से पूर्व देय होगा।
4. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 **<u>(द्वारा शासनादेश दि0 30.11.12)</u>** दि0 04.09.12 के बाद प्रथम बिक्री प्रारम्भ करने वाली फूड प्रोसेसिग (खादय प्रसंस्करण), पशु सम्पदा व सूचना प्राद्यौगिकी वाली ईकाईयों को उनके वाणिज्य टैक्स एंव केन्द्रीय बिक्री कर पर ब्याजमुक्त ऋण	1. ईकाई (नयी अथवा पुरानी) के नये निवेश के उत्पादन की प्रथम तिथि 04.09.12 के बाद की हो। 2. नया निवेश भूमि, भवन व नयी मशीनरी, संयत्र आदि मे मान्य होगा तथा नयी या विस्तारिकरण का पूंजी निवेश कम से कम रु0 12.50 से 25.00 करोड के बीच हो। (रु0 25.00 करोड से अधिक 'पिकप' द्वारा) 3. विस्तारिकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि मूल स्थायी पूंजी निवेश का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी निवेश हो तथा पुरानी इकाई की उत्पादन क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत बढोत्तरी हो। 4. ऋण की प्रतिवर्ष सीमा ईकाई द्वारा जमा प्रदेशिक वाणिज्यक कर व केन्द्रीय बिक्री कर अथवा कुल बिक्री (विस्तारिकरण) का 10 प्रतिशत जो भी कम हो होगी। 5. ऋण का भुगतान 7 वर्ष के बाद एक मुश्त देना होगा जोकि बैंक ड्राफट अथवा आर0टी0जी0एस0 द्वारा होगा। 6. यह योजना अगले 10 वर्ष तक लागू रहेगी।	– आवेदन वित्तीय निगम को हर वर्ष की समाप्ति पर 30सितम्बर तक वॉछित प्रपत्रों के साथ करना होगा। – 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्र का निस्तारणकर दिया जायेगा। –इकाई ऋण के भुगतान के पश्चात कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन मे रहेगी। – देर से भुगतान पर 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देय होगा। – ऋण की सुरक्षा हेतु उचित प्रतिभूति बन्धक करी जायेगी।

नोटः उपरोक्त सभी योजनाओं का विस्तृत वितरण उद्योगबन्धु की वेबसाइट(www.udyogbandhu.com) पर उपलब्ध है ।